दिलीप खलखो
बनाम्
जुलेखा खातुन एवं अन्य

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं०–02/2023–24

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

10/1/24

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा निम्नांकित विवरणी भूमि से संबंधित न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर रांची के SAR वाद संख्या–03/2022–23 में दिनांक–16.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

जमीन का विवरण

अंचल/मौजा	थाना न0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
माण्डर	90	149	580	20 डी0

अपीलकर्त्ता दिलीप खलखो, पिता–स्व० मांगा उराँव उर्फ इमानुवेल खलखो, निवासी ग्राम–माण्डर, थाना–माण्डर, जिला–राँची कहना है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खेवट में बाकास्त भूईयरी पहनई है। विपक्षी, 1. जुलेखा खातून, पति–मो० रफीक, 2. मकबुल आलम, पिता–मो० रफीक, वर्तमान निवासी ग्राम–माण्डर बाजार टांड, थाना–माण्डर, स्थयी निवासी ग्राम–राहे, थाना–राहे, जिला–राँची ने छल–प्रपंच से ले ली है, जिसके विरूद्ध न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर रांची में आवेदन–पत्र समर्पित कर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 'ए' के अन्तर्गत भूमि वापसी हेतु अनुरोध किया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा तत्कालीन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में SAR वाद संख्या–53/98–99 में पारित आदेश के आलोक में Res-Judicata के आधार पर खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि की प्रकृति बाकास्त भूईयरी पहनई है, और यह अहस्तांतरणीय है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज कर

आवेदक को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 'ए' के अन्तर्गत भूमि वापसी हेतु आदेश दिया जाय।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि यह अपील वाद गलत आदमी दिलीप खलखो, पिता–स्व० मांगा उराँव उर्फ इमानुवेल खलखो, निवासी ग्राम–माण्डर, थाना–माण्डर, जिला–राँची द्वारा दायर किया गया है। यह अपील वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि दिलीप खलखो आर0 एस0 खतियान के खाता सं0–149 मुन्दर्ज खेवट सं0–7/5 का वंशज नही है। उसका वंशावली दूसरा है जो उसके द्वारा गलत अपील किया गया है एवं साजिश के द्वारा अपील किया गया है जो मान्य नहीं है। अपीलकर्ता दिलीप खलखो खेवष्ट नम्बर 7/5 का वंशज लौहरा उराव से अलग है। अपीलकर्ता दिलीप खलखों का वंशावली आर एस खाता सं0–90 कयमी रैयत का नाब सनुआ उराव वो चोन्दा उराव पेशरान लिटिया उरांव है

द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि अपीलकर्ता दिलीप खलखो अपना वंशावली में चरवा उराव पिता स्व तेम्बा उराव को 1935–36 से लापता दिखाया है वह गलत है। चरवा उराव अभी भी जिन्दा है। इस संदर्भ में चरवा उराव पिता स्व. लेम्बा उराव द्वारा मांडर थाना में अपीलकर्ता दिलीप खलखो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी जिसका नम्बर मांडर थाना काड संख्या 132/15 है।

निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर रांची के पत्रांक–3603(II), दिनांक–16.12.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डर, राँची से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, माण्डर, राँची के पत्रांक–420(II), दिनांक–01.04.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में बकास्त भूइहरी लोहरा उराँव वगैरह नाम लगान पाने वाला शुकरा उराँव के नाम पर सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी–II में रकबा 0.20 एकड़ तेम्बा वो रंका, पिता–शुकर के नाम पर दर्ज है। स्थानीय जाँच में आवेदित भूमि पर Oxbridge School, Mandar अवस्थित पाया जाँच करने पर School का मालिकाना हक जुलेखा खातून, पति–मो० रफीक वो मकबुल आलम, पिता–मो० रफीक का बताया गया। उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में आवेदित भूमि से संबंधित मामला SAR वाद संख्या–53/98–99 निस्तार खलखो, पिता–स्व० जोसेफ खलखो बनाम जुलेखा खातुन दर्ज हुआ था, जो विपक्षी के नाम पर विनियमित किया जाता है दर्ज है।

निम्न न्यायालय द्वारा पाया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला पूर्व में तत्कालीन उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में SAR वाद संख्या–53/98–99 दायर किया गया था, जिसमें आदेश पारित है। इस प्रकार यह मामला Res-Judicata से संबंधित है। पूर्व से पारित आदेश में एक ही न्यायालय से

पुनः किसी प्रकार का अलग से आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 'ए' के अर्न्तगत दायर आवेदन पत्र खारिज किया किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी माण्डर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि पर Oxbridge School, Mandar अवस्थित पाया गया। जाँच करने पर School का मालिकाना हक जुलेखा खातून, पति–मो० रफीक वो मकबुल आलम, पिता–मो० रफीक का बताया गया। उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में आवेदित भूमि से संबंधित मामला SAR वाद संख्या–53/98–99 निस्तार खलखो, पिता–स्व० जोसेफ खलखो बनाम जुलेखा खातुन दर्ज हुआ था, जो विपक्षी के नाम पर विनियमित किया जाता है दर्ज है। वादग्रस्त भूमि से संबंधित मामला पूर्व में तत्कालीन उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में SAR वाद संख्या–53/98–99 दायर किया गया था, जिसमें आदेश पारित है। इस प्रकार यह मामला Res-Judicata से संबंधित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/24

अपर समाहर्त्ता
राँची।

10/1/24

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 11:47:38 +05:30
Location: 192.168.2.175